विधान सभा कार्य
परम अग्रता

क्रमांक 1/9/2009–1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
3. सभी बोर्डों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 05.02.2024

विषयः– हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थित रहने व दौरे पर न जाने बारे ।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन मंगलवार 20 फरवरी, 2024 प्रातः 11:00 बजे हरियाणा विधान सभा के हाल में बुलाया गया है । अतः अधिवेशन की तैयारी के लिये तथा अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये । कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर न जाए और यदि अवकाश स्वीकृत करना अति आवश्यक हो तो केवल अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत ही स्वीकृत किया जाये । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि हरियाणा विधान सभा के अधिवेशन सम्बन्धी कार्य की तैयारी एवं अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये **अधिकारी/कर्मचारी (केवल अपरिहार्य कारणों को छोड़ कर) दौरे पर न जायें तथा अपने मुख्यालयों पर ही रहें ।**

भवदीय,
अशोक
अधीक्षक, संसदीय कार्य